न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हापुड़।
उपस्थितः– हनी गोयल, एच.जे.एस. (UP-2408)
CNR No.-UPHP010047062026

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1375 सन 2026

दिलशाद पुत्र मोमीन निवासी ग्राम कलछीना, थाना भोजपुर, जिला गाजियाबाद।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।

अपराध संख्या 172 सन 2026
धारा–309(4), 317(2), 352, 61(2) बी.एन.एस.
थाना धौलाना, जिला हापुड़।

दिनांक 02.07.2026:–

1. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त की ओर से उपरोक्त मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियोजन कथानक अनुसार, वादी मुकदमा अबरार द्वारा दिनांक 31.05.2026 को थाना हाजा धौलाना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की पंजीकृत करायी गयी कि उसने अपनी दो बीघा जमीन करीब 35 लाख रूपये में पिछले वर्ष बेची थी, जिसमें से 18 लाख पर प्लॉट उसने मेरठ में इसी माह लिया है, कुछ रूपये भैंस लेने में, अन्य काम में खर्च किये है और शेष 250000/– रूपये उसके खाते में है। इसकी पूरी जानकारी उसके ही गांव के हकीकत पुत्र उमर को थी। दिनांक 30.05.2026 को समय करीब 8–9 बजे वह और उसके दो गांव के हकीकत पुत्र उमर मौ0 व फजरू पुत्र फकरू, ग्राम लालपुर में अपने खेत के पास काम करने के लिए बैठे थे तभी 3 लड़के अज्ञात अपने मुंह पर डाटा मारकर आये, आते ही उसके साथ गाली–गलौच करते हुए उसकी कनपटी पर तमंचा लगाकर जबरदस्ती 2 लाख रूपये मो0नं0 9760707311 में ट्रांसफर करने को कहा, परन्तु उसने 7000/– रूपये उक्त मोबाईल में इन लोगों के द्वारा जबरदस्ती ट्रांसफर करायी क्योंकि वह तमंचा देखकर डर गया था तथा तभी उसकी जेब में 5000/– रूपये नगद थे, वो तमंचा दिखाकर उससे लूटकर चले गये, उनकी मोटर साईकिल थोड़ी दूर खड़ी थी। इस पूरी घटना में हकीकत उपरोक्त का भी हाथ है, इसी के द्वारा यह घ टना करायी गयी है और हकीकत भी वहां से इधर–उधर चला गया, उसके बाद में फजरू घबराये हुए थे, दोनों ही तभी गांव लालपुर आकर अपने परिवार को आकर बतायी।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि उपरोक्त अपराध में आवेदक/अभियुक्त को साजिशन झूठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त मुकदमे नामजद नहीं है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध कोई जनता का स्वतंत्र व निष्पक्ष साक्षी नहीं है। आवेदक/अभियुक्त का तथाकथित घटना व उसमें नामित अभियुक्तगण से कोई लेना–देना किसी भी प्रकार का नहीं है। आवेदक/अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। उपरोक्त केस में जनता का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है, जिसने आरोपित अपराध कारित होते हुए देखा हो। आवेदक/अभियुक्त पर उपरोक्त केस प्रेमाफेसाई मेडआउट नहीं होता है। आवेदक/अभियुक्त का आरोपितत घटना से दूर–दूर तक कोई लेना–देना नहीं है ना ही आवेदक/अभियुक्त द्वारा कोई घटना कारित की गयी है। आवेदक/अभियुक्त मान्य न्यायालय की सन्तुष्टि हेतू उचित व सम्मानित जमानत दाखिल करने को तैयार हैं। इस प्रकार आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का अनुरोध किया गया।

4. उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए, कथन किया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से वादी मुकदमा से लूट की तथा दौरान गिरफ्तारी सह अभियुक्त इमरान के पास से एक अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व

लूट के अंकन 1000/– रूपये व सह अभियुक्त फजरू से लूट के 1000/– रूपये व घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल बरामद की गयी है। दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गंभीर प्रकृति का है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की मांग की गयी है।

5. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक के तर्क सुने तथा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।

6. विधि–व्यवस्था **अदरी धरन दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2005) 4 एस0सी0सी0 303** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि, अभियुक्त की गिरफ्तारी का उद्देश्य अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना मात्र नहीं है, बल्कि इसके अतिरिक्त अन्य उद्देश्य भी होते हैं। अभियुक्त से घटना के उद्देश्य, तैयारी, घटना से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों की जानकारी, घटना के परिणाम आदि के सम्बन्ध में विस्तृत पूछताछ की आवश्यकता हो सकती है। विवेचना के बाधारहित अग्रसारित होने, साक्षी व पीड़ित व्यक्ति से सम्बन्धित व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने व समाज में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए अभियुक्त की स्वतंत्रता का हनन आवश्यक हो सकता है। उक्त सभी कारणों से अभियुक्त की गिरफ्तारी विवेचना का आवश्यक अंग हो जाती है। न्यायालय को संज्ञेय अपराध की विवेचना व उसके सम्बन्ध में गिरफ्तारी में सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

7. विधि–व्यवस्था **पी० चिदम्बरम बनाम एन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टोरेट क्रिमिनल अपील नं0–1340/2019** के प्रस्तर–60 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि, संज्ञेय अपराध की विवेचना का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से विवेचना करने वाली एजेंसी के पास होता है, जिसमें तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक कि विवेचक अपने क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग नहीं करता और विधि द्वारा दी गयी परिसीमाओं में अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। धारा–438 दं०प्र०सं0 द्वारा प्रदत्त शक्ति असाधारण शक्ति है, जिसके प्रयोग में संयम बरतना चाहिए। गिरफ्तारी पूर्व जमानत केवल अपवादिक मामलों में ही दी जानी चाहिए। अग्रिम जमानत कुछ सीमा तक अपराध की विवेचना में हस्तक्षेप करती है। अतः न्यायालय को अग्रिम जमानत देने के अधिकार का प्रयोग करते समय अत्यन्त सावधान रहना चाहिए। यह असाधरण अनुतोष असाधारण परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **क्रिमिनल अपील संख्या–1834/2022 सुमिथा प्रदीप बनाम अरूण कुमार सी. के. एवं अन्य** के मामले में अवधारित किया है कि, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण में न्यायालय को सर्वप्रथम यह देखना चाहिए कि, अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला है या नहीं, तदुपरान्त अपराध की प्रकृति तथा उसके सम्बन्ध में दिये जा सकने वाले दण्ड पर विचार करना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकरण में स्पष्ट रूप से अवधारित किया है कि, ऐसे अनेक मामले हो सकते हैं, जिनमें हिरासत में लेकर विवेचना करने की आवश्यकता न हो, किन्तु मात्र उक्त आधार पर प्रथम दृष्टया मामले को अनदेखा करते हुए अग्रिम जमानत स्वीकार नहीं की जा सकती। उक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अवगत कराया गया कि, प्रकरण में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है तथापि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय केरला उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अग्रिम जमानत के आदेश को अपास्त कर दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय से स्पष्ट है कि, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय न्यायालय को अभियुक्त के विरूद्ध उपलब्ध प्रथम दृष्टया मामले पर विचार करना चाहिए और यदि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता हो तो अग्रिम जमानत स्वीकार नहीं की जा सकती।

9. माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि–व्यवस्था **सुशीला अग्रवाल बनाम दिल्ली राज्य व अन्य (2020) 5 एस0एस0सी0 (1) (संवैधानिक पीठ)** में यह मत व्यक्त किया है कि, अग्रिम जमानत एक आपवादिक अधिकार है, जिसका अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में ही प्रयोग करना चाहिए और यह कोई निर्वाद अधिकार नहीं है।

10. माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी विधि–व्यवस्था **डॉक्टर नरेश कुमार मंगला बनाम श्रीमती अनीता अग्रवाल व अन्य ए0आई0आर0 2021 (एस0सी0) 277 (तीन जज खण्डपीठ)** में यह सुस्पष्ट मत व्यक्त किया है कि, अग्रिम जमानत केवल उन आपवादिक परिस्थितियों में स्वीकार की जा सकती है, जहां न्यायालय का प्रथम दृष्टया यह समाधान है कि, आवेदक को कथित अपराध में झूठा फंसाया गया है और वह अपनी स्वतंत्रता का दुरूपयोग नहीं करेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी इस विधि व्यवस्था में अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र व नियमित जमानत प्रार्थनापत्र के अन्तर को स्पष्ट करते हुए यह

भी मत व्यक्त किया है कि, यदि आवेदक/अभियुक्त पर लगाये गये आरोप न्याय के उद्देश्य को अग्रसारित करने वाले दर्शित न होकर आवेदक/अभियुक्त को अपमानित व आहत करने के उद्देश्य से लगाया जाना दर्शित होता हो, तो उसे अग्रिम जमानत दी जा सकती है।

11. अग्रिम जमानत देने के सम्बन्ध में न्यायालय को अन्य बातों के अतिरिक्त अभियोग की प्रकृति और गम्भीरता व इस सम्भाव्यता पर ध्यान देना चाहिए कि, आवेदक द्वारा अभियुक्त को ऐसे गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमान करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया है।

12. आवेदक/अभियुक्त पर आरोप है कि उसने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से वादी मुकदमा से लूट की तथा दौरान गिरफ्तारी सह अभियुक्त इमरान के पास से एक अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व लूट के अंकन 1000/– रूपये व सह अभियुक्त फजरू से लूट के 1000/– रूपये व घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल बरामद होना बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त का अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है। वर्तमान प्रकरण की विवेचना अभी प्रचलित है और प्रारम्भिक स्तर पर है तथा कई महत्वपूर्ण साक्ष्य का संकलन किया जाना अभी शेष है। अभियोजन का तर्क है कि आवेदक/अभियुक्त से लूट का सामान बरामद होने की सम्भावना है। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र केवल मात्र उन अपवादिक परिस्थितियों में स्वीकार किया जा सकता है, जहां आवेदक/अभियुक्त को अपमानित या आहत करने के उद्देश्य से आरोप लगाया गया हो, जो न्याय के उद्देश्यों को अग्रसारित करने वाले न हों। वर्तमान मामले में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रथम दृष्टया आवेदक/अभियुक्त को मात्र क्षति पहुंचाने या अपमानित करने के लिए झूठा नामित किया जाना प्रतीत नहीं होता है। आवेदक/अभियुक्त को इस स्तर पर अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार नहीं है।

13. उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का पर्याप्त आधार नहीं पाता है।

<u>आदेश</u>

तदनुसार आवेदक/अभियुक्त **दिलशाद पुत्र मोमीन** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र **निरस्त** किया जाता है।

दिनांक 02.07.2026

प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
हापुड़।